

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0)

डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेण्ट कमिश्नर/वा0कर अधिकारी

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।


विषय:: सचल दल इकाईयों द्वारा माल का परिवहन करने वाले वाहनों की जाँच के सम्बंध में।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा-68 एवं उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 138B के प्रावधानों के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश में कार्यरत सचल दल इकाईयों द्वारा माल का परिवहन करने वाले वाहनों की जाँच का मानक जोन की श्रेणी के अनुसार परिपत्र संख्या 1920049 दिनांक 26-08-2019 से निर्धारित किया गया था जिसे परिपत्र संख्या 2021032 दिनांक 03-12-2020 से संशोधित किया गया। कोविड-19 की वैश्विक महामारी से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त जाँच के मानकों को परिपत्र संख्या 2122003 दिनांक 23-04-2021 से स्थगित कर दिया गया था तथा कोविड-19 के प्रसार की गति के मन्द होने पर परिपत्र संख्या 2122010 दिनांक 28-06-2021 से सचल दल इकाईयों द्वारा माल का परिवहन करने वाले वाहनों की जाँच के सम्बंध में निर्देश दिये गये हैं।

कोविड-19 की वैश्विक महामारी के प्रसार की गति प्रदेश में लगभग नियंत्रण में है तथा व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियाँ सुचारु रूप से संचालित हो रही हैं। कोविड-19 की वैश्विक महामारी प्रारम्भ होने से पूर्व माह फरवरी, 2020 में ई वे बिल पोर्टल से जनरेट किये जाने वाले लगभग 45.18 लाख ई वे बिलों के सापेक्ष माह जुलाई 2021 में लगभग 47.45 लाख ई वे बिल जनरेट किये गये हैं जबकि माह फरवरी 2020 में सचल दल इकाईयों द्वारा माल के परिवहन के दौरान लगभग 1.16 लाख ई वे बिलों के सत्यापन के सापेक्ष माह जुलाई 2021 में मात्र 10135 ई वे बिलों का सत्यापन ई वे बिल पोर्टल पर किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि सचल दल इकाईयों द्वारा अधिनियम की धारा-68 एवं नियमावली के नियम-138B के अर्न्तगत अपेक्षानुसार प्रभावी जाँच एवं सत्यापन कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः परिपत्र संख्या 2122010 दिनांक 28-06-2021 के क्रम में माल का परिवहन करने वाले वाहनों की सचल दल इकाईयों द्वारा की जाने वाली जाँच के सम्बंध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

- 1- जोन में कार्यरत सचल दल इकाईयों द्वारा पूर्ण क्षमता से जोन की भौगोलिक सीमा में माल का परिवहन करने वाले वाहनों की जाँच पूर्व की भाँति एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) द्वारा किये गये परिनियोजन के अनुसार की जाए। करापवंचन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जोन में कार्यरत एडीशनल

- कमिश्नर ग्रेड-1 द्वारा अपने अधीनस्थ एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) को यथोचित मार्गदर्शन देते हुए सचल दल इकाईयों को जाँच हेतु परिनियोजित कराया जा सकता है।
- 2- ई वे बिल पोर्टल एवं विभागीय कॉम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध करायी जा रही विभिन्न प्रकार की एम.आई.एस. का विश्लेषण करते हुए माल का परिवहन करने वाले वाहनों की जाँच के दौरान करापवंचन के दृष्टिकोण से जोन द्वारा चिन्हित संवेदनशील वस्तुओं एवं ट्रान्सपोर्टर्स के वाहनों की गुणवत्तापरक जाँच सुनिश्चित की जाएगी।
 - 3- रेलवे से आने वाले माल की जाँच के सम्बंध में परिपत्र संख्या 1819028 दिनांक 28-08-2018 से दिये गये निर्देशों का नियंत्रक एवं पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा अनुपालन कराते हुए नियमित अनुश्रवण किया जाए।
 - 4- ई वे बिल पोर्टल पर किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जनरेट किये जाने वाले ई वे बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि होने की उपलब्ध एम.आई.एस. के आधार पर आसूचना आधारित प्रभावी प्रवर्तन एवं अनुषांगिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
 - 5- माल के परिवहन के दौरान विनिर्दिष्ट प्रपत्रों का मोबाइल एप से सत्यापन करने के साथ-साथ रुपये पचास हजार से कम मूल्य के बिलों का संग्रहण करते हुए जी0एस0टी0 प्रवर्तन मैनुअल में विहित रीति से विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जा रहे सम्बंधित मेन्यू में दर्ज किया जाएगा।
 - 6- सचल दल इकाई के प्रभारी अधिकारी द्वारा रोड चेकिंग के दौरान इकाई से सम्बद्ध वाहन में वी0टी0एस0 का क्रियाशील होना तथा उपलब्ध कराए गए बॉडीवार्न कैमरा का उपयोग करना सुनिश्चित किया जाएगा।
 - 7- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) द्वारा सचल दल इकाईयों के परिनियोजन के सम्बंध में परिपत्र संख्या 1920071 दिनांक 28-11-2019 से दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।


(मिनिस्ती एस.)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 व दिनांक :: उक्त ।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ।
- 2- डिप्टी कमिश्नर(आई.टी.)वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर सुसंगत मेन्यू में अपलोड कराने हेतु।

/

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।